

भारत में नौकरशाही का विकास

शासन तंत्र कोई भी हो नौकरशाही के अभाव में तंत्र का कुशल संचालन नहीं हो सकता। खासकर जब विश्व के अधिकांश देशों में प्रजातांत्रिक शासन पद्धति कार्य कर रहा हूँ और अन्य देशों में भी प्रजातंत्र कायम करने के लिए जन आंदोलन हो रहे हो तब नौकरशाही की आवश्यकता स्पष्ट रूप से अनुभव की जा सकती है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि तंत्र और शासन में अटूट संबंध है। विशेष रूप से प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में इसका विशेष महत्व है। प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत करने में इसकी खास भूमिका होती है। इस प्रकार वर्तमान वैश्विक परिदृश्य एक सुव्यवस्थित निष्पक्ष एवं नागरिकोन्मुखी नौकरशाही की मांग करती है।

परिचय

ऐसा माना जाता है कि नौकरशाही का विकास 18वीं और 19वीं शताब्दी में सबसे पहले पश्चिमी यूरोपीय देशों में हुआ और फिर इसका विकास विश्व के अन्य देशों में हुआ बीसवीं शताब्दी में अपनी प्रकाशा पर थी। विश्व के कई देशों में मार्क्सवादी सिद्धांतों पर आधारित शासन व्यवस्था ने इसे समाप्त करने की कोशिश की फिर भी अपनी विशेषताओं के कारण बना रहा।

लास्की का कहना है कि नौकरशाही का उदय कई तत्वों के योगदान का परिणाम है। प्रथम यह कुलीन तंत्र की उपज के रूप में विकसित हुआ। इसके अपने इतिहास में कुलीन तंत्र में सक्रिय सरकार के रुचि का भाव देखा गया इससे कई परिस्थितियों में सत्ता अस्थाई अधिकारियों के हाथों में चली गई। दूसरा नौकरशाही का उदय सम्राट सम्राट की इच्छा से भी माना जाता है जबकि अपनी व्यक्तिगत अधीनस्थ कर्मचारियों को रखना चाहता था जिनका प्रयोग कुलीन वर्ग में शक्ति के लिए बढ़ती हुई लालसा के विपरीत किया जा सके। तृतीय लोकतंत्र के उदय ने इसके विकास में दो तरीके से सहयोग दिया। प्रथम 19वीं शताब्दी में पश्चिमी संसार में लोकतांत्रिक सरकार के उदय हो जाने से ऐसी व्यवस्था को बनाए रखने का संजोग समाप्त हो गया जिसे अधिकारी पैतृक तथा स्थाई जाति बन सके। दूसरा लोकतंत्र के साथ-साथ जो अन्य परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई उनके कारण यह अनिवार्य हो गया की विशिष्ट सेवा का कार्य करने के लिए विशेषज्ञों का समूह होना चाहिए। आधुनिक राज्य का विशाल आकार और इसके द्वारा उपलब्ध हो जाने वाली सेवा का विस्तार इस बात को अनिवार्य बना देता है कि विशेषज्ञों का प्रशासन अवश्यभावी है।

कैमनका तथा कीरजियर ने बड़े विस्तार से इन तत्वों पर विचार किया है जिस ने राज्य के अस्थाई अधिकारियों के वर्ग जिनको आधुनिक राज्यों में नौकरशाही कहा जाता है कि उदय में योगदान दिया है नौकरशाही के उदय के महत्वपूर्ण कारक हैं फ्रांस और एशिया से शुरू होकर यूरोप के कई राज्यों में शक्तिशाली केंद्रित राज्यों की स्थापना होना औद्योगिक क्रांति राज्य के कार्यों में विस्तार फ्रांस की क्रांति इस धारणा का विकास की सरकारी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से शासक के नौकर ना होकर राष्ट्र के नौकर हैं। यह धारणा भी संप्रभुता राष्ट्र में निहित होती है शासक के व्यक्तिगत रूप में नहीं। सरकारी कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन का भुगतान करने की व्यवस्था का लागू हो जाना और यह तर्क दिया जाना कि सरकारी कर्मचारी राज्य के प्रति उत्तरदाई होते हैं ना कि व्यक्तिगत रूप से शासक के प्रति।

भारतीय प्रशासन का उद्भव एवं विकास

विश्व के विकासशील देशों में भारतीय प्रशासन एवं शासन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जहां तक कि इसका स्थान पश्चिम के कुछ विकसित देशों में से भी बेहतर है, बावजूद इसके कियहां पारंपरिक समाज एवं विकासशील अर्थव्यवस्था है। यह सोच है कि अंग्रेजों ने हमारी प्राचीनतम प्रशासनिक व्यवस्था को सुनियोजित ढंग से बर्बाद किया फिर भी राजकाज चलाने के लिए उन्होंने प्रशासनिक ढांचा दिया है आज युष्ठी ढांचे पर हमारा आधुनिक प्रशासन खड़ा है।

वैदिक और उत्तर वैदिक काल

भारतीय प्रशासनिक इतिहास की जड़ें वैदिक काल से शुरू होकर मुगल काल तक जाती है वैदिक साहित्य बुध संगीता जैन साहित्य पुराण धर्मशास्त्र मनुस्मृति शुक्र नीति महाभारत एवं रामायण जैसे ग्रंथों एवं कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में किसी संगठन के प्रशासन एवं कार्यों का विस्तार वर्णन हमें मिलता है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की संस्कृति में भी संकेत मिलते हैं क्यों हाथ एक्सेस में संगठित सरकार थी। सिंधु घाटी सभ्यता में भी हम पाते हैं कि प्रशासन की व्यवस्था रही होगी। महाभारत और

रामायण जिसे कृतियों में शासन तंत्र के रूप में राजतंत्र था जहां लोक प्रशासन प्रयाग ग्रुप एंड विकसित था। प्रशासन का प्रमुख राजा होता था जो प्रशासन के मामलों में मंत्रियों के साथ कौंसिलरो से सहायता लेता था।

चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र भी लोक प्रशासन का एक अनूठा संग्रह है। चाणक्य के द्वारा प्रतिपादित सप्तांग सिद्धांत प्रशासन के दृष्टिकोण से बहुत आज के समय भी महत्वपूर्ण माना जाता है।

मध्यकालीन भारत में प्रशासन

यह काल दो भागों में बटा है प्रथम दिल्ली सल्तनत एवं दूसरा मुगल काल। सल्तनत शासन एक सैन्य शासन जैसा था जिसका सर्वोच्च सुल्तान होता था। उसके हाथ में राजनीतिक कानूनी एवं सैनिक शक्ति नहीं थी। न्यायिक प्रशासन के लिए भी उत्तरदाई था। मुगल शासन में प्रशासनिक व्यवस्था भी राजतंत्र पर आधारित था। अकबर और जहांगीर जैसे प्रशासकों ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया।

ब्रिटिश काल में प्रशासन

सैकड़ों वर्षों के ईस्ट इंडिया कंपनी कि भारत में अत्याचार एवं प्रशासन ने ब्रिटिश संसद का ध्यान आकर्षित किया। फलस्वरूप संसद ने चार्टर एक्ट 1813 एवं 1853 मेरे पास कर पूरा शासन लंदन से चलाना शुरू किया। इस कानून के तहत भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई ब्रिटिश काल में मुख्यतः निम्न कार्य किए गए जैसे भारतीय राजनीतिक राजनीति का नियंत्रण लंदन से सिविल सेवाओं का केंद्रीय करण एवं लोक सेवाओं का प्रशिक्षण तथा सचिवालय का गठन और विकास के लिए ढांचा तैयार करना आदि। जबकि ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश भारतीयों का शोषण करना था फिर भी जाने अनजाने में प्रशासन में काफी सुधार किया और उसका स्वभाव कार्यप्रणाली ब्रिटिश प्रशासन जैसा कर दिया। लेकिन उसकी कोशिश एक ऐसा प्रशासन बनाने का था जो कर वसूली में सक्षम हो कानून व्यवस्था बनाए रखें साथ ही भारत को भारत का उपनिवेश बनाए बनाए रखा जा सके।

भारत सरकार अधिनियम 1935 ने लोक प्रशासन को पुनर घोषित किया। राज्यों को सत्ता मिलने के कारण भारतीय को प्रशासन में सीधा-सीधा शामिल होने का अवसर मिलने लगा। भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का संरचना भूमिका स्वभाव तथा आपसी संबंधों का विकसित होने में एक लंबा समय लगा। निकालें समिति की रिपोर्ट 18 सो 54 नौकरशाही के विकास में प्रमुख कदम रहा है। योग्यता आधारित सिविल सेवा की अनुशंसा कर समिति ने ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्षों पुरानी आश्रय नीति को फिर से जीवित करने की कोशिश की। फुलटन समिति सामान्य प्रशासन को हरफनमौला की संज्ञा देते हुए उसके बारे में आगे कहा है कि वह कैसा गिफटेड लेमन है उसे किसी भी काम में लगा दीजिए बिना यह सोचे कि वह कौन सा काम है क्योंकि इसका ज्ञान और सरकार में काम करने का अनुभव ऐसा है।

निष्कर्ष

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी सिविल सेवकों की भूमिका एवं स्वभाव के आलोचक रहे हैं खासकर ब्रिटिश साम्राज्य को बनाए रखने को लेकर परंतु उन्होंने बंटवारे के बाद उपजी स्थिति सुरक्षा एवं स्थायित्व हैदराबाद में विपक्षी से निपटने में पंजाब के बंटवारे में तथा जम्मू कश्मीर के मामले में इसका समर्थन ही किया था। सिविल सेवकों के प्रति सरदार वल्लभ भाई पटेल का विचार जो बखूबी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 में परिलक्षित है। किसी भी सिविल सेवकों को अस्थाई या स्थाई तौर पर हटाया नहीं जाएगा या उनकी पदोन्नति तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उनके खिलाफ जांच समिति की रिपोर्ट ना आ जाए। ऐसी अवस्था में लगाए गए अभियोगों के बारे में उन्हें सुनने का पर्याप्त मौका भी दिया जाए।

सैद्धांतिक रूप से स्वतंत्र भारत का लोक प्रशासन शासन का वेबेरियन मॉडल अपनाया है। लेकिन देश की आजादी के बाद लोक प्रशासन का उद्देश्य एवं स्वभाव और व्यवहार में काफी परिवर्तन आया है। आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाने में लोक प्रशासन की भूमिका का का विस्तार होता चला गया है। लोक प्रशासन सिर्फ कानून व्यवस्था बनाना करों की वसूली करना तक सीमित नहीं रह कर लोक कल्याणकारी नीतियों को लागू करने में अहम भूमिका निभा रहा है। आज सरकारों सरकारों के कामकाज का मूल्यांकन करने का मुख्य पैमाना सुशासन है। लोक प्रशासन का उद्देश्य सुशासन या यूं कहें लोक प्रशासन और

सुशासन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के द्वारा सरकार सुशासन लाने में लोक सेवकों की भूमिका को इनकार नहीं किया जा सकता। अपनी तमाम कमियों के बावजूद भी लोक सेवकों ने भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी सेवाएं भारत में राष्ट्रीय एकता की भावना और केंद्र राज्य के संबंधों में मजबूती प्रदान किया है। लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते भारत में लोक प्रशासन सामाजिक न्याय और सामाजिक बराबरी का रास्ता प्रशस्त करता है। हमारे संविधान में दिए गए जनहित एवं लोकहित के कार्यों को संपादित करता है। सुशासन एक पारदर्शी एवं इमानदार सरकार की नीतियों को लागू करने में अहम भूमिका निभा रहा है।

1 Maheshwari, Shriram, Indian administration, Orient longman, 1979

2 Jain, R.B., contemporary issues in Indian administration, Delhi, India: Vishal publications, 1976

3 Appleby, Paul Henson, Public administration in India: report of a survey, Government of India, cabinet secretariat, organisation and methods division, 1957

4 Maheshwari, Shriram, public administration in India: the higher civil service, Oxford University press, USA, 2005

5 Sarkar, Siuli, public administration in India, PHI learning private limited, 2009

6 Panandiker, VA Pai, development administration in India, Macmillan, 1974

7 Bandopadhyay, Sekhara, from Plassey to partition: a history of modern India, Orient blackswan 2004

8 Basu, Rumki, public administration: concepts and theories, sterling publishers private limited, 2004